राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 937/2014/सिरोही.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय, आबूरोड़. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ध्यानदेव एन्टरप्राईजेज प्रा0 लि0, सांतपुर, आबूरोड़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22/12/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 28/आरवेट/सिरोही/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.11.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, आबूरोड़ (जिसे आगे **'जांच अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 26.07.2012 को वाहन संख्या आर.जे.19/जी.बी. –2483 को चैक किये जाने पर वाहन में **'मैगी'** सिरोही से अहमदाबाद के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से सम्बन्धित मैसर्स ध्यानदेव एन्टरप्राईजेज प्रा0 लि0, आबूरोड़ (सिरोही) का बिल क्रमांक JULY/TI/0008/12-13 दिनांक 24.07.2012 प्रस्तुत किया गया। जांच अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच की जाने पर बिल क्रमांक JULY/TI/0008/12-13 दिनांक 19.07.2012 से मैसर्स मोबाईल सेटिसफेक्शन, कोटा को रूपये 5,00,325/– का माल विक्रय किया जाना पाया गया। इस प्रकार एक ही बिल क्रमांक से दो बिल काटे जाने पर करापवंचन की मंशा मानते हुए प्रकरण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–द्वितीय, आबूरोड़ (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) को प्रेषित किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा एक ही क्रमांक के दो बिल जारी किये जाने के आधार पर करापवंचन का आशय मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,19,311/– आरोपित करने का आदेश दिनांक

लगातार.....2

01.08.2012 को पारित किया गया। सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2013 से स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि एक ही क्रमांक के दो बिल जारी किया जाना स्पष्ट रूप से व्यवहारी की करापवंचन की मंशा को प्रकट करता है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण किये बिना शास्ति आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि केवल कम्प्यूटराईज्ड त्रुटि के कारण एक ही क्रमांक के दो बिल जारी हो गये, जिसमें उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं है। स्वयं जांच अधिकारी ने मौके पर दोनों बिलों का इन्द्राज व्यवहारी की लेखा—पुस्तकों में पाया है। प्रकरण में धारा 76(2) के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण का कोई आधार नहीं बनता है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. सक्षम अधिकारी की पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित बिल संख्या JULY/TI/0008/12-13 दिनांक 24.07.2012 प्रस्तुत किया गया, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक/ विधिक त्रुटि होना जांच अधिकारी द्वारा इंगित नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी का व्यवसाय स्थल आबूरोड़ में ही होने से जांच अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल का सर्वे किया गया, जिसमें बिल क्रमांक JULY/TI/0008/12-13 दिनांक 19.07.2012 से मैसर्स मोबाईल सेटिसफेक्शन, कोटा को रूपये 5,00,325/— का जारी होने के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया है। जबकि

लगातार.....3

प्रस्तुत प्रकरण में वक्त सर्वे उक्त दोनों बिलों का इन्द्राज व्यवहारी की लेखा–पुस्तकों में किया हुआ पाया गया है। ऐसी स्थिति में करापवंचन के आशय का प्रश्न हीं नहीं उठता है। प्रकरण में धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है, किन्तु यह अंकित नहीं किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार सक्षम अधिकारी का आदेश प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, जिसे न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की विस्तृत विवेचना करते हुए, सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है एवं किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश दिनांक 12.11.2013 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

22-12-2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य